रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 254] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 1998/कार्तिक 29, 1920

No. 254] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 1998/KARTIKA 29, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1998

विषय : क्लोरोक्वीन फास्फेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच—अंतिम निष्कर्ष।

16/2/97 ए. डी. डी.—1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण एवं क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए :—

(क) प्रक्रिया

जांच के संबंध में अधोलिखित क्रियाविधि का पालन किया गया है :—

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा) को नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स टाटा फार्मा लि. और मैसर्स आई. पी. सी. ए. लैबोरेटरीज लि. से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यात किए गए क्लोरोक्वीन फास्फेट के पाटन का आरोप लगाया गया है।

(ii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से क्लोरोक्वीन फास्फेट के आयातों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्णय लिया। प्राधिकारी ने उक्त नियमों के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटन के आरोप की प्राप्ति के विषय में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को अधिसूचित किया।

III) प्राधिकारी ने दिनांक 19 फरवरी, 1998 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 2939•21 के तहत वर्गीकृत चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लोरोक्वीन फास्टफेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई ।

IV) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात सभी निर्यातकों (जिनका विवरण याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया था) और उद्योग एसोसिएशनों को भेजी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया ।

V) प्राधिकारी ने भारत में क्लोरोक्वीन फास्टफेट के सभी ज्ञात आयातकों को सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें सलाह दी गयी कि वे पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं ।

VI) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड(सी बी ई सी) से भी अनुरोध किया गया था कि वह जांच की अवधि सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान हुए क्लारोक्वीन फास्फेट के आयातों के ब्यौरे देने की व्यवस्था करें ।

VII) प्राधिकारी ने उक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और चीन जनवादी गणराज्य को उपलब्ध की ।

VIII) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य के निम्नलिखित निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:-

(क) झागंजी फार्मास्युटिकल्स् कं• लि0, चीन ।

(ख) चागंगोइंग न•5 फार्मास्युटिकल फैक्टरी, चीन ।

(ग) स्विस्तन हॉल फार्मा लि0, हॉंग कॉंग ।

(घ) यूनिको एंड कंपनी, हॉंग कॉंग ।

IX) संबद्ध देश के नई दिल्ली स्थित दूतावास को नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरूआत के संबंध में सूचना दी गई थी और यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का निर्धारित समय के भीतर उत्तर देने की सलाह दें । निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका और प्रश्नावली की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित दूतावास को भी भेजी गई थी ।

ш) भारत में क्लोरोक्वीन फासफेट के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को भी एक प्रश्नावली भेजी गई जिसमें नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी ।

(क) मैसर्स कैलिनयैक लि0 मुम्बई ।

(ख) मैसर्स माइक्रोलैब्स् लि0 मोसूर ।

(ग) मैसर्स विपुल ट्रेडिंग कं0, दमन ।

(घ) मैसर्स ग्लिक्स् फार्मा लि0, राजस्थान ।

लेकिन किसी भी आयातक द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी ।

шi) जांच 1 अप्रैल, 1996 से 30 जून, 1997 तक की अवधि के लिए की गई थी ।

(ख) याचिकाकर्ता के विचार

2. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:-

(क) चीन से हुए आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है जो वर्ष 1994-95 में 34.623 मी. टन से बढ़कर वर्ष 1995-96 में 176.488 मी.टन तक हो गए ।

(ख) चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले क्लोरोक्वीन फास्फेट की निर्यात कीमत में कमी आई है जो वर्ष 1994-95 में 892 रु0 प्रति कि0 ग्रा0 से घटकर वर्ष 1995-96 में 732 रू0 प्रति कि0 ग्रा0 हो गई हैं । इसके पश्चात् इसमें मामूली वृद्धि हुई और वर्ष 1996-97 में बढ़कर 768 रू0 प्रति कि0 ग्रा0 हो गयी ।

(ग) याचिकाकर्ताओं की संयुक्त बिक्री में तेजी से गिरावट आयी है जो वर्ष 1994-95 में 174 मी.टन से घटकर वर्ष 1995-96 में 148 मी0टन0 हो गई और वर्ष 1996-97 में यह और अधिक घटकर 79 एम टी तक हो गई । उत्पाद की औसत घरेलू बिक्री कीमत 1994-95 में 1368 रू0 प्रति कि0 ग्रा0 से घटकर वर्ष 1996-97 में 1169 रू0 प्रति कि0 ग्रा0 हो गई और फरवरी/मार्च, 1997 में यह और अधिक घटकर 946 रू0 हो गई जिससे घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई ।

ग· निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

3· आयातकों या अन्य हितबद्ध पार्टियों में से किसी से भी पाटनरोधी-जांच प्रारम्भ करने के नोटिसों का जवाब नहीं दिया है । मैसर्स शंघाई झाग्फ्सी फार्मेस्युटिकल कं· लि· (एस जेड पी सी) के अलावा उपरोक्त किसी भी निर्यातक से उत्तर नहीं मिला है । निर्यातक ने अपने उत्तर में इस प्रकार उल्लेख किया है :-

(i) वर्तमान जांच में एक याचिकाकर्ता मै· टाटा फार्मा लिमिटेड दूसरी कम्पनी मैसर्स वर्कहार्ड्ट लिमिटेड के नियंत्रण में आ गयी हैं । इस दृष्टि से निर्दिष्ट प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए याचिकाकर्ता की स्थिति पर पुनर्विचार कर सकते हैं ।

(ii) निर्यातकों ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों का बीजक-वार ब्यौरा दिया है । निर्यातकों द्वारा भेजी गई सूची में जांच के दौरान याचिकाकर्ता मै· आई पी सी ए लि· द्वारा 6,500 किग्रा क्लोरोक्विन फास्फेट के आयातों को शामिल किया गया ।

(घ) उठाए गए मुद्दों की जांच

4· हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई है और इन पर नीचे विचार किया गया है ।

(ङ·) विचाराधीन उत्पाद

5· वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यातित क्लोरोक्विन फास्फेट है । क्लोरोक्विन फास्फेट एक भेषजीय उत्पाद है और मलेरियारोधी नुस्खों में प्रयुक्त किया जाता है । क्लोरोक्वीन फास्फेट सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमा-शुल्क उपशीर्ष सं· 2939·21 के अन्तर्गत वर्गीकृत है ।

(च) घरेलू क्षति

6· वर्तमान याचिका मै· टाटा फार्मा लि· और मै· आई पी सी ए लि· द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने वर्तमान जांच की शुरुआत के समय घरेलू उद्योग

का प्रतिनिधित्व किया था । अपने उत्तर में निर्यातक मै. एस जेड पी सी लि. ने दावा किया कि मै. टाटा फार्मा लि. अब दूसरी कम्पनी मै. वर्कहार्ड्स लि. के नियंत्रण में आ गई है और अन्य याचिकाकर्ता मै. आई पी सी ए लि. जांच अवधि के दौरान इस उत्पाद की आयातकर्ता थी ।

7. इस मामले में वस्तु स्थिति के वास्तविक सत्यापन के प्रयोजनार्थ मै. आई.पी सी ए लि. को जाँच-अवधि के दौरान उत्पाद के आयातों की पुष्टि के संबंध में पत्र लिखा गया था । परन्तु, मै. आई पी सी ए से प्राधिकारी को उस पर कोई उत्तर नहीं मिला था । मै. आई पी सी ए लि. द्वारा आयातों की वस्तु स्थिति के बारे में मनाही करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि निर्यातकों मै. एस जेड पी सी ए लि. द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अनुसार मै. आई पी सी ए लि. द्वारा जांच-अवधि के दौरान उत्पाद का आयात किया गया था ।

8. पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग के दायरे को परिभाषित किया गया है और उक्त नियम में इस बात की व्यवस्था है कि यह उत्पादनकर्ता आरोपित पाटित वस्तुओं के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं या वे स्वयं उनके आयातकर्ता हैं तो ऐसे उत्पादनकर्ता घरेलू उद्योग के अंग के रूप में नहीं समझे जाएंगे । उक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में मै. आई पी सी ए लि. को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का निर्णय किया ।

9. निर्दिष्ट प्राधिकारी को आगे यह सूचित किया गया था कि विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त क्षमता वाले अन्य उत्पादनकर्ता हैं । इनमें मै. मंगलम लि. और मै. बंगाल इम्यूनिटी लि. सम्मिलित हैं । इन उत्पादनकर्ताओं की उत्पादन क्षमता और क्लोरोक्विन फास्फेट के वास्तविक उत्पादन का संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा जांच की शुरूआत के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी । प्राधिकारी ने इसके अलावा विद्यमान उत्पादनकर्ताओं और भारत में क्लोरोक्विन फास्फेट की क्षमताओं के संबंध में आगे यह मामला समुचित प्राधिकारियों के साथ उठाया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी को आगे यह सूचित किया गया था कि दूसरे उत्पादनकर्ता मै. आई डी पी एल लि. ने

1996-97 के दौरान 22.90 मी. टन क्लोरोक्विन फास्फेट का उत्पादन किया था ।

10. जांच-अवधि के दौरान क्लोरोक्विन फास्फेट के वास्तविक उत्पादन के संबंध में अवसर दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को वस्तु-स्थिति से अवगत नहीं कराया गया था । मै. मंगलम लि., मै. बंगाल इम्यूनिटी लि. और मै. आई डी पी एल लि. के संबंध में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए तथा जांच-अवधि के दौरान क्लोरोक्विन फास्फेट के आयातकर्ता होने के नाते आई पी सी ए लि. को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने के कारण केवल एक याचिकाकर्ता मै. टाटा फार्मा के पास वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपेक्षित समर्थन नहीं है, जैसा कि नियमों के तहत अपेक्षित है ।

11. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मै. टाटा फार्मा लि. से मै. वर्कहार्ट लि. द्वारा अपने नियंत्रण में ली गयी उक्त कम्पनी की तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में सूचना भी मांगी गई थी और इसकी पुष्टि भी करवायी गयी थी कि मै. वर्कहार्ट लि. ने जांच-अवधि के दौरान उत्पाद का आयात नहीं किया है । प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर स्मरण कराए जाने के बावजूद मै. टाटा फार्मा लि. द्वारा इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी ।

8. क्षति के संबंध में अन्य संगत सूचना

12. घरेलू उद्योग को आरोपित पाटित आयातों से होने वाली क्षति को प्रमाणित करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं से जांच की अवधि के दौरान समर्थनकारी शेयरों सहित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के शेयरों के संबंध में सूचना मांगी गयी थी । परन्तु, इस संबंध में भी याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी ।

ज. निष्कर्ष :

13. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अन्तर्गत पाटनरोधी-शुल्क संबंधी नियमों के नियम 6(8) में यह निर्धारित है कि जिन मामलों में कोई हितबद्ध पार्टी पहुँचने से मना करती है अथवा समुचित अवधि के भीतर अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करवाती है या जांच में अत्यधिक बाधा पहुँचाती है, उन मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और ऐसी परिस्थितियों में केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है और जिन्हें वह ठीक समझे । वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना देने में असफल रहे थे जैसा कि ऊपर बताया गया है । याचिकाकर्ताओं के असहयोग को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच में पाटन क्षति और कारणात्मक संबंध जैसे विशिष्ट मुद्दों की अंतिम रूप से जांच नहीं की जा सकी । अत: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान जांच बंद करने का निर्णय लिया है ।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 1998

Subject:- Anti dumping investigation concerning imports of Choloroquine Phosphate-Final Findings

16/2/97/ADD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. **PROCEDURE**

The procedure described below has been followed with regard to the investigations:

i. The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the Rules, received written application from M/s. Tata Pharma Limited & M/s. IPCA Laboratories Limited, on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Choloroquine Phosphate originating in or exported from the People's Republic of China (referred to as China PR hereinafter);

ii. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, decided to initiate investigations against imports of Choloroquine Phosphate from China PR. The Authority notified the Embassy of China PR about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the Rules;

iii. The Authority issued a public notice dated 19th February, 1998 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of Choloroquine Phosphate, classified under custom sub-headings 2939.21 of Customs Tariff Act, 1975, originating in or exported from China PR;

iv. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known exporters (whose details were made available by the petitioner) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the rule 6(2);

v. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known importers of Choloroquine Phosphate in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;

vi. Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of Choloroquine Phosphate for the past three years, including the period of investigation;

vii. The Authority provided a copy of the petition to the known exporter and the Embassy of China PR in accordance with rules 6(3) supra;

viii. The Authority sent questionnaire, to elicit relevant information, to the following exporters of China PR, in accordance with the Rule 6(4).

(a) Zhongxi Pharmaceutical Co. Ltd., China.
(b) Chongoing No 5 Pharmaceutical Factory, China.
(c) Schweizer hall Pharma Limited, Hong Kong.
(d) Unico & Co., Hong Kong.

ix. The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigations in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporter was also sent to the Embassy, along with a list of known exporter/producer;

x. A questionnaire was sent to the following known importers of Choloroquine Phosphate in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4):

a) M/s. Kalinyec Ltd., Mumbai.
b) M/s. Micro Labs. Limited, Mosur.
c) M/s. Vipul Trading Co., Daman.
d) M/s. Greaves Pharma Ltd.,Rajasthan.

No information was, however, filed by any importer.

xi. Investigation was carried out for the period from starting 1st April 1996 to 30th June 1997;

B. **PETITIONER'S VIEWS**

2. The petitioner have raised the following issues in their petition:

(a) The Chinese imports have risen sharply from 34.623 MTs in 1994-95 to 176.488 MTs in 1995-96.

(b) The exports price of Choloroquine Phosphate from China PR has declined from Rs.892 per Kgs. in 1994-95 to Rs.732 per Kgs. in 1995-96. It marginally increased thereafter to Rs. 768 Kgs. in 1996-97.

(c) The combined sales of the petitioners has fallen sharply from 174 MTs. in 1994-95 to Rs. 148 MTs in 1995-96 and further declined to 79 MTs in 1996-97. The average domestic selling price of the product has declined from Rs. 1368 per Kgs. in 1994-95 to Rs.1169 per Kgs. in 1996-97 and has further gross to Rs.946 in Feb/March, 1997 leading to financial losses to the domestic industry.

C. **VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

3. None of the importers or other interested parties have responded to the notices of initiation of the Anti-Dumping investigations. No response was received from any of the exporters referred to above except M/s. Shanghai Zhongxi Pharmaceutical Co. Ltd.(SZPC). The exporter in their response has mentioned as under:-

(i) M/s. Tata Pharma Limited, one of the petitioner in the present investigations has been taken over by another company M/s. Workhardt Limited. In view of the same, the Designated Authority may reconsider the standing of the petitioner for the present investigation.

(ii) The exporters furnished the invoice-wise details of exports made to India during the POI. The list furnished by the exporters included imports of 6,500 Kgs. of Choloroquine Phosphate during the period of investigation by the M/s. IPCA Ltd, the petitioners.

D. **EXAMINATION OF THE ISSUES RAISED**

4. The submissions made by the interested parties have been examined and are discussed herein under.

E. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

5. The product under consideration in the present investigations is Choloroquine Phosphate originating in or exported from China PR. Choloroquine Phosphate is a pharmaceutical product and is used in Anti Malaria formulations. Chloroquine Phosphate is classified under the Customs Sub-Heading No. 2939.21 of the Customs Tariff Act.

F. **DOMESTIC INDUSTRY**

6. The present petitioner has been filed by M/s. Tata Pharma Limited and M/s. IPCA Limited, who represented the domestic industry at the time of initiation of the present investigation. The exporters M/s. SZPC Limited, in their response, claimed that M/s. Tata Pharma Ltd. has since been taken over by another company M/s. Workhardt Ltd. and the other petitioners M/s. IPCA Ltd. was importers of the product during the POI.

7. In order to verify the factual position in the matter, a reference was made to M/s. IPCA Ltd to confirm the imports of the product during the period of investigation. However, no response was received to the same by the Authority from M/s. IPCA Ltd. In view of the factual position on imports having not been denied by M/s. IPCA Ltd., the Authority holds that M/s. IPCA Ltd. had imported the product during the period of investigation as per evidence furnished by the exporters M/s. SZPC Ltd.

8. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the scope of a domestic industry and the said rules provides that the producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped articles or are themselves importers thereto, such producers shall be deemed not to form a part of the domestic industry. In view of said rules, the Authority decided to exclude M/s. IPCA Ltd from the scope of domestic industry in the present investigation.

9. The Designated Authority was further informed that there are other producers of the product under consideration having significant capacities. These included M/s. Mangalam Limited and M/s. Bengal Immunity Limited. The information with regard to the production capacity and the actual production of these producers of Choloroquine Phosphate was not made available to the Designated Authority by the petitioners, at the time of initiation of the investigations. The Authority further took up the matter with regard to the existing producers and the capacities of Choloroquine Phosphate in India with the appropriate Authorities. It was further informed to the Designated Authority that another producer M/s. IDPL Limited had produced 22.90 MTs. of the Choloroquine Phosphate during 1996-97

10. The factual position with regards to the actual production of Choloroquine Phosphate during the period of investigation was not made available to the Designated Authority by the petitioners despite being provided with an opportunity to do so. Keeping in view the additional production capacity and actual production in respect of M/s. Mangalam Limited, M/s. Bengal Immunity Limited and M/s. IDPL

Limited, and further with the exclusion of M/s. IPCA Limited from the scope of the domestic industry being the importers of Choloroquine Phosphate during the POI, the only petitioner M/s. Tata Pharma do not have the requisite support to represent the domestic industry in the present investigation, as required under the Rules.

11. The information was also solicited by the Designated Authority from M/s. Tata Pharma Limited regarding the factual position of the company having been taken over by M/s. Workhardt Limited and a confirmation that M/s. Workhardt Limited had not imported the product during the POI. No information in this regard was made available by M/s. Tata Pharma Limited despite periodic follow up by the Authority.

G. **OTHER RELEVANT INFORMATION ON INJURY:-**

12. In order to substantiate injury to the domestic industry from the alleged dumped imports, the information was solicited from the petitioners regarding the details on cost of production of the domestic industry during the period of investigation alongwith supporting details. However, the information in this regard was also not made available to the Designated Authority by the petitioners.

H. **CONCLUSIONS:**

13. The Rule 6(8) of the Anti-Dumping Duty Rules under Customs Tariff Act,1975, stipulates that the cases wherein an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary inforamtion within a reasonable period , or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances. In the present investigation, the petitioners had failed to furnish the information requisioned by the Designated Authority, as mentioned above. In view of the non-cooperation of the petitioners, the specific issues in the present investigation like dumping, injury and causal link could not be examined conclusively by the Designated Authority. The Designated Authority has therefore decided to close the present investigation.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.